केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(336)एसपी/2014/ दिनांकः 10.09.2014

<u>अल्पकालीन लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र सूची</u>

1. भरे हुये कोटेशन प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 25.09.2014 दोपहर 1.00 बजे तक
2. कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 25.09.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे
3. अमानत राशि : ––/– रूपये
4. कोटेशन की मान्य अवधि : 120 दिन

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य स्थल /ब्लॉक नं.	बुवाई की जाने वाली फसल	अनुमानित क्षैत्रफल	अनुबन्धकर्ता द्वारा सरसों के दाने में मांगा गया हिस्सा (प्रतिशत में)	अनुबन्धकर्ता द्वारा तारामीरा के दाने में मांगा गया हिस्सा (प्रतिशत में)	अनुबन्धकर्ता द्वारा चना के दाने में मांगा गया हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों/ब्लॉकों पर दाने व चारे में अनुबन्धकर्ता व संस्थान की हिस्सेदारी के आधार पर सरसों, तारामीरा व चना की फसलों का उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य (बुवाई से लेकर कटाई तक) का अनुबन्ध।	चाँदसेन सेक्टर ब्लॉक नं.9	सरसों या तारामीरा या चना	5 हैक्टर			
2.		टाऊनशीप सेक्टर नं.12	सरसों या तारामीरा या चना	5 हैक्टर			
3.		नया कुआं सेक्टर नं.14 व 16	सरसों या तारामीरा या चना	5 हैक्टर			
4.		मझोला सेक्टर नं. 19	सरसों या तारामीरा या चना	5 हैक्टर			

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई हिस्सेदारी (प्रतिशत) पर **संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर दाने व चारे में अनुबन्धकर्ता व संस्थान की हिस्सेदारी के आधार पर रबी (सरसों, तारामीरा व चना) की फसलों का उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य (बुवाई से लेकर कटाई तक)** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त लिमिटेड टेण्डर/कोटेशनों में आप न्यूनतम/अधिकतम अथवा किसी अन्य लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

<u>संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर दाने व चारे में अनुबन्धकर्ता व संस्थान की हिस्सेदारी के आधार पर रबी (सरसों, तारामीरा व चना) की फसलों का उत्पादन (बुवाई से लेकर कटाई तक) करने से सम्बन्धित कार्य की नियम व शर्ते</u>

1. लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन **संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 25.09.2014 तक समय दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त, ई–मेल/तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएगें। **ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता के पास श्रम विभाग से पंजिकृत होने का प्रमाण पत्र अथवा पेन कार्ड की फोटोप्रति लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।** ऐसे अनुभवी किसान जिनके पास वर्तमान में पेन कार्ड नहीं है वे भी लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन भर सकते है, लेकिन उन्हें अनुबन्ध की अवधि के दौरान एक माह के भीतर पेन कार्ड बनवाकर पावती रसीद संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन समिति द्वारा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कोटेशनदाता के समक्ष खोले जाएगें।
2. सफल ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व नियमानुसार 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी तथा आवश्यकता हुई तो आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. **लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये सभी ब्लॉकों की फसलों में चारे की पैदावार में 50 प्रतिशत हिस्सा संस्थान का तथा 50 प्रतिशत हिस्सा अनुबन्धकर्ता का होगा।**
5. **सभी ब्लॉकों की फसलों में दाने की पैदावार का अधिकतम हिस्सा संस्थान को देने वाले को अनुबन्ध दिया जावेगा।**
6. **प्रत्येक ब्लॉक के लिये अलग–अलग दाने की पैदावार का अधिकतम हिस्सा संस्थान को देने वाले को अनुबन्ध दिया जावेगा।**
7. **प्रत्येक प्रक्षेत्र/ब्लॉक में एक से अधिक फसलों के लिये लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई फसलों को प्राथमिकता क्रम क्रमशः सरसों, तारामीरा व चना होगा। अतः इसी क्रम को प्राथमिकता देते हुये संस्थान को दाने में अधिकतम हिस्सा प्रतिशत देने वाले को अनुबन्ध आदेश जारी किया जावेगा।**
8. **कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई फसलों के उत्पादन हेतु संस्थान द्वारा केवल जमीन उपलब्ध करवाई जावेगी तथा इसके लिये अनुबन्धकर्ता को संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के तहत कृषि कार्य करने हेतु बॉण्ड पत्र पर बॉण्ड भरकर देना होगा जिस पर दो गवाह के हताक्षर होने चाहिए। बाण्ड का प्रारूप प्रभारी, फार्म अनुभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।**
9. **कृषि कार्य में आने वाले सभी औजार/मशीनरी जैसे– ट्रेक्टर, हकाई–बुवाई–जुताई–कटाई से सम्बन्धित यंत्र, ट्रेक्टर–ट्राली, थ्रेसर व अन्य सभी औजार अनुबन्धकर्ता के स्वयं के होगें तथा इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।**
10. **अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता को खेत तैयार करने के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। तथा अन्य सभी कार्य जैसे – बीज, बीजों की हकाई–बुवाई, फसलों की निराई–गुड़ाई, रखवाली, फसल की कटाई, थ्रेशिंग कर दाना निकालना, दाने व चारे/कुट्टी का बंटवारा तथा चारे/कुट्टी का निर्धारित स्थान पर भण्डारण करना/बागर लगाने से सम्बन्धित सभी कार्य स्वयं के खर्चे पर करने होंगे।**
11. फसल के दानें व चारें के बंटवारे से सम्बन्धित कार्य सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा जोकि अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा। संस्थान के बंटवारे/हिस्से में आने वाले दाने व चारें/कुट्टी को प्रभारी, फार्म अनुभाग अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा तथा चारे का भण्डारण/बागर लगानी होगी/समुचित तरीके से जमाना होगा। इस कार्य में काम आने वाले वाहन और श्रमिक स्वयं अनुबन्धकर्ता को लगाने होंगें तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।
12. अनुबन्धकर्ता को फसलों की दिन–रात रखवाली करनी होगी तथा फसलों को आवारा जानवरों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचाना होगा।
13. अनुबन्ध की अवधि के दौरान मानसून एवं विविध कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।
14. उपरोक्त से सम्बन्धित सभी कार्यो की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, फार्म अनुभाग/उनके प्रतिनिध द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता प्रमाणित करेंगें तथा उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जावेगा।
15. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्ध कार्य निरस्त कर दिया जावेगा साथ अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जावेगा।
16. अनुबन्धकर्ता को संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

17. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान होता है अथवा संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसका भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा अन्यथा उनके हिस्से से उक्त राशि की काटौती कर ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
19. उपरोक्त कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
20. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों का फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
21. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
22. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
24. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे कृषक/ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
26. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
27. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
28. कृषि क्षेत्र/एरिया अथवा अनुबन्ध कार्य के बारे में अधिक जानकारी प्रभारी, फार्म अनुभाग/प्रतिनिधियों से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
29. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंनें कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये हिस्से के प्रतिशत में संस्थान–कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर दाने व चारे में अनुबन्धकर्ता व संस्थान की हिस्सेदारी के आधार पर तारामीरा, सरसों व चना की फसलों का उत्पादन (बुवाई से लेकर कटाई तक) करने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

संलग्नक : 1. श्रम विभाग से पंजिकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि
3. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।